

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार गीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
निर्णय दिनांक :- 26.06.2025

संख्या :- 220 / 2024

उनवानी दावा:

शंकरलाल मीणा पुत्र अम्बालाल मीणा जाति, मीणा उम्र बालिग निवासी उलेला
तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0
—वादी—

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मादोलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रानीपुरा तहसील
उनियारा जिला टोंक राज0
 2. ताराचन्द पुत्र सुवालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी टीकमखेड़ा तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0
 3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0
- प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-
श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध
प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

दावा बाबत बटवारा आराजीयात

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है
कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 04.06.
2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था।
पारित आदेश की पालना में तहसीलदार देवली से कुर्रेजात रिपोर्ट क्रमांक:- भू. अ.
/2025/2790 दिनांक 25.06.2025 से प्राप्त हुई।

कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया।
अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट को सही बताया और
अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की।

कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली
द्वारा प्रेषित उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया जो तहसीलदार देवली द्वारा
विभाजन प्रस्ताव, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से
21 के अनुसार तैयार किये गये हैं।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 1319 ख. नं. 4100 रकबा
0.63 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवली तहसील देवली
जिला टोंक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार
दावा स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा
निम्नानुसार रहेगा :-

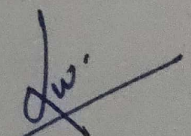
Dr.
26.06.2025

खाता संख्या 1319 ख. नं. 4100 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार देवली भू अभि. नि. क्षेत्र देवली तहसील देवली :-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	शंकरलाल मीणा पुत्र अम्बालाल मीणा हि. पूर्ण सा. उलेला जिला भीलवाड़ा खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	4100 / 1	0.30	बारानी 2	1.20
	योग	किता-1	1.30	—	1.20
2.	जगदीश प्रसाद पुत्र मादोलाल हि. 1/2 जाति मीणा सा. रानीपुरा खातेदार व ताराचन्द पुत्र सुवालाल हि. 1/2 जाति मीणा सा. टीकमुखेड़ा तह. जहाजपुर खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	4100 / 2	0.30	बारानी 2	1.20
	योग	किता-1	0.30	—	1.20
3.	शामलात बदस्तूर नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	4100 / 3	0.03	बारानी 2	0.12
	योग	किता-1	0.03	—	0.12

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्व जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.06.2025 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....
मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी
देवली टोंक.....

उनवानी दावा:

शंकरलाल मीणा पुत्र अम्बालाल मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी उलेला
तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0
—वादी—

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मादोलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी रानीपुरा तहसील
उनियारा जिला टोक राज0
2. ताराचन्द पुत्र सुवालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी टीकमखेड़ा तहसील
जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

दावा बाबत बटवारा आराजीयात

मुकदमा नं. 220 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड
अधिकारी देवली बहाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू
एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 1319 ख. नं. 4100 रकबा 0.63
है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवली तहसील देवली जिला
टोक के विभाजन हेतु, तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा
स्वीकार किया जाना उचित होने से अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा
निम्नानुसार रहेगा :-

खाता संख्या 1319 ख. नं. 4100 रकबा 0.63 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार
देवली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवली तहसील देवली :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	शंकरलाल मीणा पुत्र अम्बालाल मीणा हि. पूर्ण सा. उलेला जिला भीलवाड़ा खातेदार नक्शा ट्रेस में नीले रंग से दर्शित	4100/1	0.30	बारानी 2	1.20
	योग	किता-1	1.30	—	1.20

26.06.2025

	जगदीश प्रसाद पुत्र मादोलाल हि. 1/2 जाति मीणा सा. रानीपुरा खातेदार व ताराचन्द पुत्र सुवालाल हि. 1/2 जाति मीणा सा. टीकमखेड़ा तह. जहाजपुर खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	4100/2	0.30	बारानी 2	1.20
	योग	किता-1	0.30	—	1.20
3.	शामलात बदस्तूर नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	4100/3	0.03	बारानी 2	0.12
	योग	किता-1	0.03	—	0.12

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न
रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज
की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 06 सन् 2025
को जारी किया गया।

दस्तख्त

ओहदा

मुहर

मुददर्ई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिफ्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।